(1)

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/

e-mail: jdadmn.cce@gmail.com Ph. NO. 0141-2702247 (O)

क्रमांकः–एफ.1(01)पीएस / आकाशि / 2018–पार्ट / 707 दिनांकः– 14-06-2021

आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा–2016 में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख अंकित महाविद्यालय में प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाकर पदस्थापित किया जाता है :–

नॉन टीएसपी

क्र. सं.	मेरिट नम्बर	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं पता	जन्मतिथि	वर्ग	अभ्यर्थी की फोटो	आवंटित जिला	आवंटित महाविद्यालय / कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2967	गोपाल मीणा पुत्र श्री केसर लाल मीणा, ग्राम पोस्ट–सरसिया, तह0–जहाजपुर, जिला–भीलवाडा पिन–311201	01–09–1987	ST		भीलवाड़ा	राज0 महा0, भीलवाड़ा
2.	2969	हरीश मीणा पुत्र श्री किशन गोपाल, ग्राम–पटपड़ा, पोस्ट–तिसाया, तह0 मांगरोल, जिला–बांरा पिन–325206	07–07–1994	ST		बांरा	राज0 महा0, बांरा

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती हैं :–

1. राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किये जाने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुये अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर ऊपर वर्णित तालिका में अपने नाम के सामने अंकित महाविद्यालय में पद का कार्यभार ग्रहण कर लेवें । अपरिहार्य एवं अन्य परिस्थिति के कारण 15 दिवस में उक्त अभ्यर्थी पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित में सूचित कर देवें। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्यग्रहण नहीं करने दिया जायेगा ।
2. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते दये होगें, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (through proper channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(2)

3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006, एफ–12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफडी 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006, एफ–6(6) एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ–16(2)एफडी/रूल्स/98 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ–14(1) एफडी/रूल्स/2009 दिनांक 12.10.2009 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (fix remuneration) के हकदार होगें। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। परिवीक्षा काल में कोई कटौतियां यथा जीपीएफ एवं एसआई नहीं की जायेगी ।
4. राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत् अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होगें ।
5. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ–11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/ जा0प्र0प0/सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प011(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी /सान्याअवि/2011/68999–69032 दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
6. इस विभाग को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य (Adverse reports) पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुये उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
7. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व 50/– रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र मे दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र सत्य हैं । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना कूटरचित एवं अप्रमाणिक पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा इनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी एवं प्रार्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
8. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी ।
9. परिवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी ।
10. चयनित अभ्यर्थी का आचरण परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में असंतोषजनक पाये जाने पर इनको बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त किया जा सकेगा ।
11. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण प्रयोगशाला सहायक के पद पर पे मेट्रिक्स लेवल संख्या –08 में नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होगें ।
12. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
13. सभी अथ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गयी है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
14. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान

(3)

कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक–2016 के लिये निर्धारित मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।

15. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका संख्या 7158/2020 के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्न मेडिकल, कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–15(1)डीओपी/ए–11/74, दिनांक 01.01.1975 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी ।

(संदेश नायक)
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(01)पीएस/आकाशि/2018–पार्ट/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के उनके पत्रांक प14(54)आरएसएमएसएसबी/अर्थना/प्रयो. सहा./पात्रता जांच/2017/314 दिनांक 15–03–2021 के क्रम में।
2– विशिष्ठ सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3– निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4– वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5– निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6– निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7– संबंधित प्राचार्य– कृपया संबंधित अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तथा उनके द्वारा जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति, विवाह एवं सन्तान आदि के मूल कागजात पेश पर नियुक्ति सम्बन्धी मूल आवेदन पत्र के साथ लगे कागजातों की प्रतियों का मिलान करके ही कार्यभार ग्रहण करने दिया जावे । इनका मूल आवेदन पत्र मय संलग्नकों के संलग्न किया जा रहा है (संलग्न – एक सेट)।
8– सम्बन्धित अभ्यर्थी– कृपया कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित महाविद्यालय प्राचार्य को प्रस्तुत करें तथा नियुक्ति सम्बन्धी मूल आवेदन पत्र के साथ लगाये गये जन्मतिथि, योग्यता, जाति आदि के कागजातों की प्रतियों का मिलान करने हेतु मूल कागजात साथ लेकर जावे।
9– वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
10–रक्षित पत्रावली।

14.6.20[illegible]

(डॉ0 के0एल0 सिराधना)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर